अध्याय–14

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति के हितार्थ संचालित योजनाएं

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा गर्व कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएँ

- **राज्य छात्रवृत्ति** :– कक्षा तीसरी से पांचवीं की कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को तथा कक्षा 6 वीं से 10 वीं तक की कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्याार्थियों को शिक्षण वर्ष के माह जून से मार्च तक 10 माह हेतु पात्रतानुसार राज्य छात्रवृत्ति दी जाती है। एक शैक्षणिक वर्ष के 10 माह हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति/अजजा के विद्यार्थियों को दी जाने वाली राज्य छात्रवृत्ति के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है।
- **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति** :– अजजा./अनु.जाति के कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं एवं उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को जिनके पालकों की वार्षिक आय 2 लाख रूपये होने तक मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों को जिनके पालकों की वार्षिक आय 1 लाख रूपये होने तक मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- **ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति** :– प्रदेश के अनुसूचित जनजाति/जाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के दौरान आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शासन द्वारा संचालित की जा रही है। विगत कुछ वर्षो से छात्रों की बढ़ती संख्या के साथ छात्रवृत्ति की समय पर स्वीकृति एवं भुगतान सुनिश्चित करने में प्रशासन को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पडता है तथा समय पर छात्रवृत्ति न मिल पाने के कारण विद्यार्थियों समस्या का सामना करना पड़ता है। बालक/बालिका को 750 रूपये मासिक शिष्यवृत्ति प्रदान को की जाती है। एक वर्ष में यह शिष्यवृत्ति 10 माह हेतु दी जाती है।
- **छात्र गृह योजना** :– उच्चतर माध्यमिक स्तर पर महाविद्यालयीन विद्यार्थी उन्हें छात्रावासों में प्रवेश उपरोक्त समस्याओं को देखते हुए इस वर्ष से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पूरी प्रक्रिया का कम्प्यूटराईजेशन किया जाकर ऑनलाइन आवेदन एवं स्वीकृति की व्यवस्था की गई है तथा राशि का भुगतान प्राप्त करने के
  लिए विद्यार्थियों को **''शिक्षा संगी छात्रवृत्ति''** कार्ड आबंटित किए जा रहे हैं। उपरोक्त कार्ड हेतु विद्यार्थियों को किसी प्रकार का बैंक खाता खोलने की आवश्यकता नहीं होंगे।
  किसी विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करके बायोडाटा की प्रवृष्टि एक बार करने के पश्चात उसे पूरे अध्ययनकाल में छात्रवृत्ति प्राप्त होती रहेगी और प्रतिवर्ष नया आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। ''शिक्षा संगी छात्रवृत्ति'' कार्ड में छात्रवृत्ति राशि राशि जम होने की सूचना विद्यार्थियों मोबाइल पर SMS से दी जाएगी। सूचना मिलते ही राशि का आहरण किसी भी बैंक के ATM से कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ATM न होने के कारण कई केन्द्रों पर बिजनेश करेंसपॉडेंट (BC) की व्यवस्था की गई है। इन केन्द्रों पर ATM की भॉति राशि आहरित किया जा सकता है।
- **प्रावीण्य उन्नयन योजना (केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना)** :– भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा शत् प्रतिशत सहायता से राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कक्षा 9 वी से 12 वीं तक के मेधावी छात्र–छात्राओं के प्रावीण्य उन्नयन की योजना जुलाई 1999 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों हेतु 15000 रूपये एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों हेतु 19500 रूपये प्रति विद्यार्थी के मान से व्यय किये जाने का प्रावधान निर्धारित किया गया है।
- **छात्रावास/आश्रम सुविधा** :– अपने निवास के 3 कि. मी. की दूरी में शिक्षण संस्था न होने से अन्य संस्था में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क आवास, पानी, बिजली, भोजनालय सुविधा उपलब्ध कराने के आदेश से छात्रावास/ आश्रम संचालित है। इन संस्थाओं निवासरत अनु.जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्री–मैट्रिक स्तर के
- **निःशुल्क गणवेश प्रदाय** :– प्रदेश के आदिवासी

नहीं मिल पाया हो उन विद्यार्थियों के आवास की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए यह योजना संचालित की जाती है। इसके अन्तर्गत 5 या उससे अधिक अनु. जाति/अनु. जनजाति विद्यार्थी जिस किराये के मकान में रहते हैं उनके किराये का भुगतान विभाग द्वारा किया जाता है एवं इस प्रकार के छात्र गृहों में निवासित विद्यार्थियों को छात्रावासी दर से मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

- **कन्या साक्षरता प्रोत्साहन छात्रवृत्ति :–** अनु. जाति तथा अनु. जनजाति की बालिकाएं जिन्होंने कक्षा पांचवीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो उन्हें कन्या शिक्षा प्रोत्साहन के उद्देश्य से कक्षा छठवीं में प्रवेश लेने पर 500 रूपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
- **स्वस्थ तन–स्वस्थ मन (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना :–** छात्रावास/आश्रमों में निवास करने वाले छात्र/छात्राओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु यह योजना वर्ष 2007–08 से लागू की गई है। इसके अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा विहीन क्षेत्रों में संचालित छात्रावास/आश्रम में निवासरत छात्र/छात्राओं का माह में 2 बार स्वास्थ्य परीक्षण योग्यता प्राप्त चिकित्सक द्वारा किया जाता है।
- **ग्रंथालयों की स्थापना :–** प्रदेश के तकनीकी महाविद्यालयों (चिकित्सा, अभियांत्रिकी, पॉलिटेकनिक, कृषि) में अध्ययनरत अनु. जाति तथा अनु. जनजाति विद्यार्थियों के लिए अलग से सुविधा पूर्ण ग्रंथालय की स्थापना हेतु इन संस्थाओं को इस विभाग द्वारा वित्तीय प्रावधान उपलब्ध कराया जाता है।
- **मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम योजना :–** प्रदेश के 85 आदिवासी विकासखण्डों के शासकीय एवं अनुदान प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं तथा प्राथमिक स्तर के आश्रमों में विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन दिया जाता है।
- **अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को राज्य अनुदान :–** प्रदेश की ऐसी अशासकीय शिक्षण संस्थाएं जो अनु.जाति तथा अनु. जनजाति के विद्यार्थियों के शैक्षणिक उत्थान में लगे हुए हैं उन्हें विभाग द्वारा शतृ प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।
- **बोर्ड परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति :–** 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अनु. जाति तथा अजजा. के विद्याार्थियों को लगने वाली बोर्ड परीक्षा शुल्क की शत् प्रतिशत प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जाती है।

  लिए मिडिल स्कूलों का हाईस्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किया गया।
- **मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना :–** यह योजना वर्ष 2007–08 से लागू की गई है। इसके अन्तर्गत कक्षा 10वीं एवं 12वीं के मेधावी छात्र जो बोर्ड की अंचल में कन्या शिक्षा को प्रोत्साहन करने, शिक्षा त्यागने की प्रवृत्ति कम करने एवं शिक्षा के प्रति सतत जागरूकता बढ़ाने के लिए आदिवासी विकासखण्डों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति थि गरीबी रेखा से नीचे की छात्राओं तथा विशेष पिछड़ी जनजाति के छात्रों को भी गणवेश वितरण किया जाता है।
- **जवाहर अनुसूचित जनजाति उत्कर्ष योजना :–** इस योजना के अन्तर्गत राज्य के अनुसूचित जाति के प्रतिभावन छात्र–छात्राओं के शिक्षा बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु उत्कृष्ट आवासीय शिक्षण संस्थाओं (शासकीय एवं निजी) में प्रवेश दिलाकर प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है। इस योजना के तहत राज्य के प्रतिभावन अनुसूचित जाति वर्ग के 50 छात्रों को कक्षा 6वीं में एवं 20 छात्रों को कक्षा 9वीं में राज्य स्तर पर चयन कर राज्य के बेहतर परिणाम देने वाले स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाता है। इन शालाओं में पढ़ने वाले चयनित छात्र/छात्राओं का सम्पूर्ण व्यय विभाग द्वारा वहन किया जाता है।
- **विशेष शिक्षण केन्द्र योजना :–** दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षकों का अभाव बना रहता है। इसके कारण छात्रावास आश्रमों में निवासरत विद्यार्थी कठिन विषयों में कमजोर रह जाते है। इस योजना का उद्देश्य अनु. जाति तथा अनु. जनजाति छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों को विशेष शिक्षक के माध्यम से कठिन विषयों के परीक्षा परिणाम पर गुणात्मक सुधार के साथ प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने योग्य बनाना है।
- **छात्र भोजन सहाय योजना :–** इसके तहत कक्षा 11वीं एवं आगे की कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रावासी विद्यार्थियों को केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति दी जाती है। जिसकी दरें पर्याप्त नहीं होने के कारण छात्रावासों में भोजन व्यवस्था हेतु अपने घर से धनराशि की व्यवस्था करनी पड़ती है। शिक्षा के इस स्तर पर छात्र–छात्राओं को विशेष पोषण आहार की भी आवश्यकता होती है इसकी प्रतिपूर्ति हेतु पूरक रूप में सहायता देना जिससे छात्र–छात्राओं का अध्ययन प्रभावित न हों। इसके अन्तर्गत प्रतिमाह 200 रूपये की सहायता दी जाती है।
- **कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना :–**इस योजना का उद्देश्य अनु. जाति तथा अनु. जनजाति वर्ग के छात्रावास/आश्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों को कम्प्यूटर फ्रेन्डली बनाना है, जिससे वे कम्प्यूटर आधारित शिक्षण एवं कार्य में दक्ष हो सके। इस योजना के अन्तर्गत कक्षा छठवीं से विद्यार्थियों को कम्प्यूटर फ्रेन्डली बनाने हेतु कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान की जा रही है।
- **शालाओं का उन्नयन :–** आदिवासी क्षेत्र में पर्याप्त

परीक्षा में कम से कम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं, उन्हें रूपये 10,000 प्रतिवर्ष एकमुश्त छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति के 300 विद्यार्थी एवं अनुसूचित जनजाति के 700 विद्यार्थी का चयन किया जाता है।

- **ऑपरेशन मुस्कान :–** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे छात्रों जिनके होठ कटे एवं विकृत व तालू आदि समस्या है। ऐसे लोगों का सर्वे कराकर चिन्हांकित व्यक्तियों का छ. ग. शासन द्वारा ऑपरेशन मुस्कान योजना के अन्तर्गत ईलाज कराया जाता है। इलाज का सम्पूर्ण व्यय छ.ग. शासन निःशुल्क कराया जाता है।
- **निःशुल्क सायकल प्रदाय योजना :–** आदिवासी क्षेत्रों के भौगोलिक स्थिति नदी, पहाड़, ग्रामों से स्कूल की दूरी एवं विरल जनसंख्या के कारण छात्राओं की शिक्षा बाधित होती है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बालिकाओं की हाईस्कूल तक की शिक्षा को सुगम बनाने हेतु निःशुल्क सायकल प्रदाय करने की योजना वर्ष 2004–05 से प्रारंभ की गई है। वर्ष 2007–08 में विशेष पिछड़ी जनजाति के बालाकों को तथा वर्ष 2007–08 से पिछड़ा वर्ग एवं अन्य वर्ग की गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली बालिकाओं को भी निःशुल्क सायकल वितरित की जा रही है।
- **स्काउट एवं गाईड :–** स्काउट गाईड में विभिन्न शिविरों/योजनाओं में शामिल होने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाती है।
- **आदर्श शाला पुरस्कार योजना :–** इस योजना का उद्देश्य हाईस्कूल/उ.मा.वि. में स्वच्छ शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कराना है। इसके तहत प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ तीन शालाओं को शैक्षणिक वर्ष में किये गये उपलब्धियों हेतु पुरस्कृत किया जाता है।
- **आदर्श शिक्षक पुरस्कारः–** योजना का उद्देश्य स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित शालाओं के शिक्षकों द्वारा उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने/अनुशासन नियमितता एवं आदिवासी शिक्षा के विकास में उच्च प्रतिभा स्थापित करने के आधार पर आदर्श शिक्षक का चयन कर प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कृत किया जाना है। योजनान्तर्गत चयनित शिक्षकों को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में निर्धारित पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ती पत्र प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार जिला एवं राज्य स्तर पर दिया जाता है।
- **नर्सिंग प्रशिक्षण :–** वर्ष 2009–10 से प्रवेश में बीएससी नर्सिंग''' चार वर्षीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा हेतु योजना प्रारंभ की गई, जिसके तहत अनुसूचित जाति एवं अनु. जनजाति हाईस्कूल/हायरसेकेण्डरी स्कूल न होने के कारण ग्रामीण छात्र–छात्राएं कक्षा 8वीं के बाद पढ़ाई जारी रखने में दिक्कत महसूस करते थे। इस समस्या को हल करने के

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना

- **आस्था :–** नक्सली हिंसा से अनाथ हुए/प्रभावित बच्चों को आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु दन्तेवाड़ा में ''आस्था गुरूकुल विद्यालय'' संचालित है। छात्र वर्ष भर इस संस्था में रहते है। सभी व्यवस्था निःशुल्क है।
- **निष्ठा :–** नक्सली हिंसा से प्रभावित परिवारों के बच्चों को अशासकीय संस्थाओं के सहयोग से उनके अध्ययन की व्यवस्था 'निष्ठा' के तहत की गई है। वर्तमान में राजनांदगांव में यह व्यवस्था है।
- **प्रयास :–** प्रदेश की राजधानी रायपुर में ''प्रयास'' नामक 300 सीटर बालक आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। विद्यालय में नक्सली क्षेत्र के प्रभावित बच्चों की गुणवत्तायुक्त शिक्षा एवं प्रतिस्पर्धात्मक शैक्षणिक वातारण प्रदान किया जाता है। इस विद्यालय में प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों के प्रथम श्रेणी में 10वीं उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिया गया। आवासीय विद्यालय प्रयास में कक्षा ग्यारहवीं एवं बारहवीं के अध्ययन के साथ–साथ आई.आई.टी., ए.आई.ई.ई.ई., पी.एम.टी. एवं पी.ई.टी. की विशेष कोचिंग प्रदान की जा रही है। विगत वर्षो में प्रयास के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर सफलता के नवीन कीर्तिमान स्थापित किये हैं।

  जून 2012 में राज्य के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा बालकों के उल्लेखनीय परिणामों को ध्यान में रखते हुए बालिकाओं हेतु भी कन्या प्रयास आवासीय विद्यालय का उद्घाटन गुढ़ियारी रायपुर में किया गया है।
- **प्री–इंजीनियरिंग एवं प्री. मेडिकल कोचिंग योजना :–** कक्षा 12वीं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले ऐसे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों जिनके पालक आयकरदाता न हों, को बेहतर राष्ट्र स्तरीय इंजीनियरिंग कॉलेजों (आई. आई.टी तथा एन.आई.टी.) में प्रवेश दिलाने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2011–12 से प्रारंभ की गई है।

  केवल वर्ष 2011–12 हेतु शासन द्वारा छात्रों की अनुपलब्धता के कारण नक्सल प्रभावित जिलों के लिये कक्षा 12वीं की परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने एवं गैर नक्सल प्रभावित जिलों के 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों के चयन के मापदण्ड की कंडिका–3 के अन्तर्गत प्रवेश की पात्रता में छूट प्रदान की गई है। वर्तमान में 2012–13 में उक्त योजना के अन्तर्गत कक्षा 12वीं की परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक नक्सल प्रभावित जिलों के मेधावी छात्रों के चयन करने का मापदण्ड निर्धारित है।

विद्यार्थियों के द्वारा निजी नर्सिंग कालेज में प्रवेश प्राप्त करने पर ट्यूशन फीस, छात्रावास एवं भोजन आदि पर व्यय हेतु सहायता प्रदान की जा रही है।

- **एयर क्राप्ट मेंटनेंस इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम :–** अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए एयर क्राप्ट मेंटनेंस इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन सुविधा योजना वर्ष 2012–13 से प्रारंभ की गई है। योजना का प्रमुख उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को टेक्निशियन, जूनियर इंजीनियर, एयर क्राप्ट मेंटनेंस इंजीनियर के रूप तैयार कर रोजगार योग्य बनाना है।
- **निःशुक्ल पाठ्यपुस्तकों का वितरण :–** कक्षा 1 से 8वीं तक अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण सर्व शिक्षा अभियान के तहत किया जा रहा है।
- **अन्तर्जातीय विवाह :–** किसी सवर्ग युवक/युवती का अनु. जाति के युवक/युवती से विवाह करने पर ऐसे आदर्श प्रस्तुत करने वाले दम्पत्ति को पूर्व में रूपये 6000/– नगद एवं प्रशस्ती पत्र से सम्मानित किये जाने का प्रावधान था, जिसे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आदेश दिनांक 28.08.2009 द्वारा बढ़ाकर 25,000 रूपये किया गया है तथा दिनांक 06.07.2011 से वृद्धिकर 50,000 रूपये किया गया है।
- **सद्भावना शिवरों का आयोजन :–** अस्पृश्यता निवारण की भावना से प्रचार–प्रसार लोगों के बीच सौहार्द पूर्ण वातारण निर्माण के उद्देश्य से अनु. जाति बाहुल्य क्षेत्र के किसी एक ग्राम में प्रतिवर्ष सद्भावना शिविर आयोजन किया जाता है, जिसमें वर्ण भेद रहित सामुहिक भोज, वाद–विवाह प्रतियोगिता संभाषण एवं शिक्षाप्रद चित्रपट आदि प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जाता है।
- **स्वरोजगार मूलक वित्तीय सहायता योजना :–** आदिवासी वित्त एवं विकास निगम अत्यावासी सहकारी समिति तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्संख्यक वित्त विकास निगम द्वारा आरक्षित वर्ग के लोगों को निम्नांकित व्यवसाय हेतु ऋण एवं अनुदान प्रदान किया जाता है।

  अनु. जनजाति को ऋण एवं अनुदान :– गरीबी रेखा एवं दुगनी गरीबी रेखा के अन्तर्गत आने वाले अनु. जनजाति के लोगों को ट्रेक्टर ट्राली, आटो रिक्शा, कमान्डर, जीप, मीनी बस, मीनी ट्रक, सुअर पालन, मुर्गी पालन, डेयरी, टेन्ट हाउस, होटल, ढाबा, जनरल स्टोर्स आदि व्यवसायों के लिए लागत राशि का 80 प्रतिशत ऋण दिया जाता है तथा नाबार्ड योजना के अन्तर्गत रूपये 6000/– की अधिकतम सीमा तक अनुदान दिया जाता है।

- **विभागीय संस्थाओं के लिये भवनों का निर्माण :–** योजनान्तर्गत भवन विहीन छात्रावासों/आश्रमों,

यूथ हॉस्टल नई दिल्ली :– संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु द्वार का नई दिल्ली में 100 सीटर ट्रायबल यूथ हॉस्टल की स्थापना वर्ष 2012 में की गई है। राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के पा विद्यार्थी सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं की तैयारी सुविधापूर्वक दिल्ली में रहकर कर सकेंगे। छात्रावास में स्वीकृत 100 सीट में 50 सीट अनुसूचित जनजाति, 30 सीट अनुसूचित जाति तथा 20 सीट पिछड़ा वर्ग के पात्र विद्यार्थी के लिए आरक्षित होगी।

- **अनु.जनजातियों के लिए ऋण एवं अनुदान :–** गरीबी रेखा या दुगनी गरीबी रेखा के अन्तर्गत आने वाले बेरोजगारों को ट्रेक्टर, ट्राली, आटो रिक्शा, टेन्ट हाउस, बैण्ड पार्टी, ब्यूटी पार्लर, जूता–चप्पल दुकान, सुअर पालन, बैण्ड पार्टी, डी.टी.पी. (कम्प्यूटर) आदि के लिये लागत राशि का 80 प्रतिशत ऋण तथा नाबार्ड योजना के तहत 6000/– की अधिकतम सीमा तक अनुदान दिया जाता है।

  अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवाओं को निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना।

  प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टि से वर्ष 2008–09 से निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना प्रारंभ की गई है।

क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

- **स्थानीय विकास कार्यक्रम :–** योजनान्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता के मद में प्राप्त राशि से परियोजना सलाहकार मण्डल की सलाह एवं स्वीकृति से जिले की आदिवासी उपयोजना क्षेत्र लघु अंचल क्षेत्र एवं डामा पाकेट क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर पेयजल सुविधा, पहुंच मार्गो, पुल–पुलियों, रपटों का निर्माण, शिक्षा संस्था भवनों में अतिरिक्त कमरों का निर्माण, चिकित्सक आवास गृह आदि के निर्माण कार्य निष्पन्न कराये जाते है तथा इस राशि से परिवार मूलक कार्य भी किये जाते है।

  क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम :– जिले के 80 प्रतिशत से अधिक अनु. जाति बाहुल्य ग्रामों, टोलों में मूलभूत आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन से प्राप्त अनाबद्ध राशि से स्थानीय जरूरत एवं प्राथमिकता के आधार पर पेयजल सुविधा, नाली, खरंजा निर्माण, प्राथमिक शाला भवनों का निर्माण छात्रावासों/आश्रमों को न्यूनतम आवश्क सामाग्रियों का प्रदान सामूहिक सिंचाई आदि कार्य जनपद पंचायतों के माध्यम से कराये जाते है।
- **अ. अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा :–** प्रारंमिक परीक्षा में सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु रूपये 1,00,000 (रूपये एक लाख) मात्र.

उच्चतर माध्यमिक शालाओं, हाईस्कूलों के लिए भवनों के निर्माण एवं साधारण मरम्मत के कार्य एवं अन्य निर्माण एजेंसियों के माध्यम से कराये जाते है।

- **निःशुल्क व्यवसायिक प्रशिक्षण :–** छत्तीसगढ़ राज्य में अत्यावासी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से 15 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों पर अनु. जनजाति वर्ग के युवक–युवतियों को विभिन्न व्यवसायों में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- **एअर होस्टेस, एविएशन, हास्पिटलिटी एवं हॉटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा प्रशिक्षण योजना :–** अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के युवाओं को निःशुल्क पायलेट प्रशिक्षण की योजना वर्ष 2007–08 से प्रारंभ की गई है।
- **सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन योजना वर्ष :–** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केन्द्र एवं राज्य की सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ''सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन योजना वर्ष 2009'' वर्ष 2010–11 में प्रारंभ की गई है।

  इसके अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की किसी भी स्तर में सफल होने पर संबंधित आयोग द्वारा जारी प्रमाण–पत्र या अधिकृत दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करने पर परीक्षण उपरान्त निम्नानुसार राशि एकमुश्त प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है।

- **आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता योजना :–** छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बाहुल्य राज्य के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में निवासरत आदिवासी की पहचान उसकी संस्कृति है। इस संस्कृति के अन्तर्गत उनकी विशिष्ट वेशभूषा, नृत्य, वाद्ययंत्र उनके धार्मिक पूजा पद्धति रिवाज आदि है। आदिवासी संस्कृति का मुख्य अंग आदिवासी नृत्य एवं संगीत है। ग्रामों में आदिवासी अर्थाभाव के कारण नृत्य एवं संगीत हेतु आवश्यक पारंपरिक वाद्ययंत्र एवं सह सामाग्री की व्यवस्था नहीं कर पाते है जिससे वे अपने इस विशिष्ट संस्कृति को बचाये रखने के में असफल हो रहे है। इस संस्कृति के परिरक्षण एवं संवर्धन हेतु ग्रामों के सांस्कृतिक दलों को आवश्यक सामाग्री की व्यवस्था हेतु सहायता दिया जाना है। वर्ष 2006–07 इस योजना का विस्तार करते हुए राज्य के समस्त विकासखण्डों को सम्मिलित किया गया है। योजनान्तर्गत सांस्कृतिक दल को 10 हजार रूपये प्रदान किया जाता है।

ब. राज्य सिविल सेवा परीक्षा :–

प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर रूपये 10,000 (दस हजार मात्र)

मुख्य परीक्षा में सफल होने पर रूपये 20,000 (बीस हजार मात्र)

- **शासकीय बुनियादी आदर्श विद्यालय, नारायणपुर :–** 500 सीटर बालक शासकीय बुनियादी आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं 500 सीटर कन्या शासकीय बुनियादी आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना वर्ष 2012–13 में नारायणपुर जिले की गई है। इससे प्रदेश के दूरस्थ अंचल के विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा के साथ हायर सेकेण्डरी स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो सकेगी।
- **युवा कैरियर निर्माण योजना :–** अनु. जाति एवं अनु. जनजाति वर्ग के स्नातकों को संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी हेतु विशेष कोचिंग प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान का चयन करके रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। इस प्रक्रिया से पिछड़ा वर्ग के लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं।

लोककला महोत्सव

- **शहीद वीरनारायण सिंह लोककला महोत्सव :–** शहीद वीरनारायण सिंह के स्मृति में उनके शहादत दिवस 10 दिसम्बर को शहीद वीर नारायण सिंह लोककला महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष उनके जन्म स्थान सोनाखान, जिला–बलौदा बाजार में किया जाता है। प्रतियोगिता में सम्मिलित आदिवासी लोककला दल को प्रथम पुरस्कार 1 लाख रूपये द्वितीय पुरस्कार 75 हजार रूपये एवं तृतीय पुरस्कार 50 हजार रूपये दिया जाता है।

- **जनश्री बीमा योजना :–** छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति समूह यथा पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार, बैगा एवं अबूझमाड़ परिवारों के 18 से 60 आयु वर्ग के मुखिया को सुरक्षा प्रदान कर लाभान्वित किये जाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2004–05 से केन्द्र शासन की मंशानुसार जनश्री बीमा योजना संचालित की जा रही है।

छ.ग. राज्य अंत्यावासी सहकारी वित्त एवं विकास निगम

छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित रायपुर का गठन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी (पुर्नगठन और निर्माण) अध्यादेश क्रमांक–2000 (मध्यप्रदेश अध्यादेश क्रमांक 04 सन् 2000) के अन्तर्गत किया गया है। निगम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा सफाई कामगार वर्ग के आर्थिक विकास के दायित्व का निर्वहन कर रहा है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के युवा बेरोजगारों को प्रशिक्षण हेतु उद्यमी विकास संस्थान

पुरस्कार एवं सम्मान

- **शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान :–** अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था को प्रतिवर्ष यह सम्मान प्रदाय किया जाता है। इस सम्मान में 2 लाख रूपये की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है।
- **स्व. भंवर सिंह पोर्ते स्मृति आदिवासी सेवा सम्मान :–** अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था को प्रतिवर्ष यह सम्मान प्रदाय किया जाता है। इस सम्मान में 2 लाख रूपये की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदाय की जाती है।
- **जनजातियों के पूजा स्थल (देवगुड़ी) का परिरक्षण एवं विकास :–** योजना का उद्देश्य राज्य के आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के ग्रामों एवं अन्य क्षेत्रों में आदिवासी बाहुल्य ग्रामों के अनुसूचित जनजातियों के आदिवासी पुरातन संस्कृति को संरक्षित करने हेतु श्रद्वा स्थलों (देवगुड़ी) ग्राम देवता स्थलों का परिरक्षण एवं विकास करना है। यह कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जाता है। योजना के क्षेत्र में विस्तार करते हुए इसमें राज्य समस्त आदिवासी ग्राम सम्मिलित किये गये है।

आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण

छ.ग. राज्य के गठन के तत्काल पश्चात राज्य शासन द्वारा यह महसूस कियाग या है कि राज्य को आदिवासी अंचल एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों के सर्वागीण विकास के लिए विकास प्राधिकरण का गठन किया जावें। फलस्वरूप आदिवासी अंचलों के विकास हेतु –

अ. बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण

ब. सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण

का गठन राज्य शासन के आदेश क्र. /एफ–7–5/04/01/06, दिनांक 20 मई 2004 द्वारा किया गया।

गठन एवं विस्तारः– प्रारंभ में बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्रधिकरण के अंतर्गत जिला कांकेर, बस्तर एवं दंतेवाड़ा ही सम्मिलित किये गये थे, बाद में इसका क्षेत्र विस्तार कर धमतरी जिले की नगरी, दुर्ग जिला का डौण्डीलोहारा, राजनांदगांव जिले का राजनांदगांव एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्र को विकास प्राधिकरण क्षेत्र अंतर्गत सम्मिलित किया गया। साथ ही राजनांदगांव जिले का नचनिया एवं जिला कवर्धा का 'माडा' क्षेत्र भी प्राधिकरण के अंतर्गत सम्मिलित किए गए।

सरगुजा विकास प्राधिकरण अंतर्गत प्रारंभ में जशपुर, सरगुजा एवं कोरिया जिला ही सम्मिलित की समस्त इकाई एवं पूर्व में विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण यह उत्पादन केन्द्रों का विलय इस निगम में कर दिया गया है। इस निगम की पूंजी का 51 प्रतिशत राज्य की अंशपूंजी हिस्सा एवं 49 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्सा है। निगम द्वारा छ.ग. राज्य के निर्धारित मापदण्ड में आने वाले हितग्राही क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग व सफाई कामगार वर्ग के उत्थान में वित्तीय ऋण सहायता निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत दी जाती है।

आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना निर्माण के समय अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति की सामाजिक–आर्थिक स्थिति, रीति–रिवाज, रहन–सहन, अन्य सांस्कृतिक तथा अनुसंधानिक तथ्यों के अभाव में इन वर्गो के विकास हेतु योजना निर्माण में कठिनाई महसूस हुई थी जिसके फलस्वरूप भारत सरकार ने वर्ष 1954 में पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश, उड़ीसा, बिहार एवं परिश्चम बंगाल राज्य सरकारों को आदिम जाति, अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के निर्देश दिये थे।

मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 नवम्बर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। छत्तीसढ़ राज्य की कुल जनसंख्या में से 30.06 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों का तथा 12.8 प्रतिभाग अनुसूचित जाति वर्ग का है। राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुशंसा पर छत्तीसगढ़ के लिए 15 वें आदिम जाति अनुसंधान संस्थान के रूप में दिनांक 2 नवम्बर 2004 को राज्य शासन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत किया गया । इस संस्थान द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जा रहे है–

1. राज्य की अनुसूचित जनजातियों/जातियों की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थिति का अनुसंधान, सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन करना।
2. अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु संचालित योजनाओं का मूल्यांकन करना।
3. आदिवासी संस्कृति एवं कला का प्रलेखन एवं संरक्षण करना।
4. जाति–प्रमाण–पत्र जारीकर्ता अधिकारियों एवं अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ विभिन्न विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।
5. गलत/फर्जी जाति प्रमाण–पत्रों की जांच करना।
6. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समस्त राज्यों सरकारों को दिए गए निर्देश के परिपालन में आरक्षित पदों पर नियुक्ति एवं पाठ्यक्रमों में प्रवेश से पूर्व फर्जी जाति प्रमाण–पत्रों को निरस्त करना।
7. विभागाध्यक्ष या राज्य शासन या केन्द्र शासन द्वारा समय–समय पर सौंपे गए कार्य।

नवीन कन्या शिक्षा परिसरों की स्थापना

बालिकाओं के शिक्षा को प्रोन्नत करने के दृष्टि से प्रदेश के जनजातिय क्षेत्रों में बालिकाओं को शिक्षा

किया गया था, बाद में इस प्राधिकरण क्षेत्र का विस्तार करते हुए जिला कोरबा (पूर्ण राज्य जिला), रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ एकीकृत विकास परियोजना एवं बिलासपुर जिले का गौरेला परियोजना क्षेत्र को सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सम्मिलित किया गया।

उद्देश्य–आदिवासी विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत प्राधिकरण क्षेत्र में निवासरत् जनजाति समुदाय के विकास हेतु अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन की समीक्षा तथा अनुश्रवण किया जाता है। श्रेत्र में निवासरत जनजाति समुदायों के आर्थिक विकास संस्कृति के संरक्षण क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम तथा अंचल के विकास हेतु प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन

राज्य के अुसूचित जाति क्षेत्रों के विकास हेतु राज्य शासन के आदेश क्र./एफ–7–9/04/ 1/06, दिनांक–23.10.2004 द्वारा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है।

अनुसूचित जाति प्राधिकारण का क्षेत्र– प्राधिकरण गठन के साथ–साथ अनुसूचित जाति बाहुल्य 09 जिलों को अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण में सम्मिलित किये गये। जिले निम्नानुसार है :–1.जांजगीर–चांपा, 2. बिलासपुर, 3. रायपुर, 4. रायगढ़, 5. दुर्ग, 6. कबीरधार, 7. महासमुंद, 8. कोरबा, 9. राजनांदगांव

वर्तमान में राज्य के धमतरी जिले में निवासरत अनुसूचित जाति बाहुल्य जनसंख्या को भी प्राधिकरण अंतर्गत लाभान्वित किया जाता है।

प्रावधान– अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण अंतर्गत राज्य शासन द्वारा 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में भी आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कार्य स्वीकृत किये जाते है।

सुनिश्चित करने एवं गणवत्ता मूलतः शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राज्य के विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों में 5 कन्या शिक्षा परिसर (1. भानपुरी–जिला बस्तर, 2. सूरजपुर–जिला–सूरजपुर, 3. भोरमदेव–जिला–कबीरधाम, 4. बीजापुर–जिला–बीजापुर, 5. बहीगांव–जिला–कोण्डागांव) कक्षा–6वीं से 12वीं तक प्रारंभ किया गया है। इन शिक्षा परिसरों के माध्यम से दूरस्थ जनजातीय अॅचलों की छात्राओं को कक्षा 6वीं से 12वीं तक महत्वपूर्ण शिक्षा निःशुल्क आवासीय एवं मेस सुविधा सहित प्राप्त होगी।

परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण हेतु आवासीय सुविधा

युवा कैरियर निर्माण योजना अंतर्गत प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को बैंकिग, रेल्वे भर्ती एवं कर्मचारी चयन आयोग इत्यादि द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं। प्रत्येक केन्द्र में 100–100 अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। इन प्रतिभागियों के सुविधापूर्ण आवास हेतु बिलासपुर और जगदलपुर स्थित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र 100–100 सीटर नवीन छात्रावास निर्माण की योजना प्रस्तावित है।

छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति की दरों में वृद्धि

प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के कक्षा 3री से 10वीं तक अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति की दरों में दोगुनी वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। इसी प्रकार प्री मैट्रिक छात्रावास तथा आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों के मेस संचालन में सुविधा एवं गुणवत्तापूर्ण आहार उपलब्ध कराने की दृष्टि से शिष्यवृत्ति की वर्तमान दर रू. 650.00 से बढ़कर रू. 150.00 किया गया है तथा पो.मै. छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों हेतु भोजन सहाय योजना की वर्तमान राशि रू. 200.00 में दोगुनी वृद्धि करते हुए रू. 400.00 किया गया है।

अध्याय–15

शासन के विभागों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति हित में संचालित योजनाएं

अनुक्रमणिका

क0		विवरण
1.		**कृषि विभाग**
		राज्य पोषित योजनाएँ
	1.	शाकम्भरी योजना
	2.	किसान समृद्वि योजना
	3.	कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना योजना
	4.	लघुत्तम सिंचाई योजना (तालाब निर्माण)
	5.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Per Drop More Crop)
	6.	राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना
	7.	कृषक समग्र विकास योजना
	8.	अक्ती बीज संवर्धन योजना
	9.	रामतिल बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना(केवल अनुसूचित जनजाति के कृषक) (जगदलपुर, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, जशपुर, सरगुजा, बलरामपुर एवं सूरजपुर जिलों के लिये लागू)
	10.	
	11.	दलहन बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना
	12.	राज्य गन्ना विकास योजना
	13.	फसल प्रदर्शन योजना
	14.	श्रीविधि के क्षेत्र विस्तार से धान की उत्पादकता वर्धन योजना
	15.	द्वि–फसलीय क्षेत्र बढ़ाने हेतु रबी फसल प्रदर्शन कार्यक्रम
	16.	ग्रीष्मकालीन धान के बदले तिलहन एवं मक्का फसल को प्रोत्साहन योजना
	17.	जैविक खेती मिशन (राज्य पोषित योजना)
	18.	खलिहान अग्नि दुर्घटना बीमा योजना
	19.	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना
	20.	भू–जल संवर्धन योजना
	21.	जनजागरण अभियान के शिविरार्थियों को प्रोत्साहन
	22.	केन्द्र प्रवर्तित/केन्द्र क्षेत्रीय/विशेष केन्द्रीय सहायता योजनाएं नेशनल मिशन ऑन ऑयलसीड्स एण्ड ऑयलपास (एम.एम.–1 ऑयलसीड्स)
	23.	एक्सटेंशन रिफार्म्स (आत्मा) योजना
	24.	NMAET अंतर्गत Sub Mission on Seeds and Planting Material (SMSP) के अंतर्गत बीज ग्राम योजना
	25.	नेशनल मिशन फॉर सस्टनेबल एग्रीकल्चर (NMSA) अंतर्गत रेनफेड एरिया डेव्लपमेंट योजना (RAD) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
	26.	हरित कांति योजना (BGREI)
	27.	कृषक प्रशिक्षण
	28.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (धान) (जिला–दंतेवाड़ा, बीजापुर, राजनांदगांव, कवर्धा, रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, कोरबा, जांजगीर–चांपा, रायगढ़, जशपुर, कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर, कोण्डागांव, नारायणपुर, बस्तर जिलों में कियान्वित)
	29.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा – दलहन
	30.	राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन – मोटे अनाज (दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कबीरधाम, कांकेर, सरगुजा, सुकमा, कोण्डागांव, सूरजपुर, बलरामपुर हेतु)
	31.	नेशनल मिशन फॉर सस्टनेबल एग्रीकल्चर (NMSA) अंतर्गत स्वायल हैल्थ कार्ड योजना
	32.	नेशनल मिशन फर सस्टनेबल एग्रीकल्चर (NMSA) अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)
2.		**उद्यानिकी विभाग**
	1.	राज्य एवं केन्द्र योजना के अंतर्गत फल, फूल, सब्जी, मसालें, औषधीय एवं सुगंधित फसलों की खेती राष्ट्रीय बागवानी मिशन
	2.	राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन
	3.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
	4.	राज्य पोषित योजनाएं
	5.	राज्य पोषित सूक्षम सिंचाई योजना
	6.	फल पौध रोपण योजना

	7.	नदी कछार/ तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन योजना
	8.	बी.पी.एल. एवं लघु/सीमांत कृषक बाड़ी में टपक सिंचाई योजना
	9.	कम्युनिटी फेंसिंग योजना संरक्षित खेती
	10.	लोक सेवा गारंटी अधिनियम–2011
3.		**मछलीपालन विभाग**
	1.	मत्स्य बीज उत्पादन
	2.	जलाशयों एवं नदियों में मछलीपालन का विकास
	3.	शिक्षण–प्रशिक्षण (मछुआरों का दस दिवसीय प्रशिक्षण)
	4.	तकनीकी ज्ञान में वृद्धि के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण
	5.	शिक्षण–प्रशिक्षण (मछुआरों का अध्ययन भ्रमण)
	6.	पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों को ऋण/अनुदान
	7.	मत्स्य पालन प्रसार (झींगा पालन)
	8.	पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों को संसाधन उपलब्ध करवाने हेतु आर्थिक सहायता
	9.	मत्स्य पालन प्रसाद (मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन)
	10.	मत्स्य पालन प्रसार (नाव जाल क्रय सुविधा)
	11.	मत्स्य पालन प्रसार (फिंगर लिंग क्रय कर संचयन पर सहायता)
	12.	श्रीमती बिलासाबाई केंवटिन मत्स्य विकास पुरस्कार
	13.	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण
	14.	मत्स्य जीवियों का दुर्घटना बीमा
	15.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
	16.	बचत सह राहत (सेविंग कम रिलीफ)
	17.	मछुआ आवास योजना
4.		**पशुधन विकास विभाग**
	1.	बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना
	2.	अनुदान पर नर सूकर का वितरण
	3.	अनुदान पर सूकरत्रयी का वितरण
	4.	शत प्रतिशत अनुदान पर सांड वितरण
	5.	उन्नत माता वत्स पालन योजना
	6.	पशुधन मित्र योजना
	7.	राज्य पोषित डेयरी उद्यमिता विकास योजना
	8.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता योजना
	9.	नेशनल लाईव स्टाक मिशन पशुधन बीमा योजना
5.		**सहकारिता विभाग**
	1.	ब्याज अनुदान योजना
	2.	किसान क्रेडट योजना
	3.	सूखा प्रभावित कृषकों के लिए अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना
	4.	जनजाति सेवा सहाकरी समितियों को प्रबंधकीय योजना
6.		**खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति**
	1.	छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम–2012
	2.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.)
	3.	अमृत नमक वितरण योजना
	4.	छत्तीसगढ़ स्वादिष्ट चना वितरण योजना
	5.	कोर पीडीएस मेरी मर्जी योजना
	6.	राशन दुकानों का कम्प्यूटरीकरण
	7.	अन्नपूर्णा दाल भात योजना
	8.	पहुंचविहीन क्षेत्रों में खाद्यान्न भंडारण
	9.	नगरीय क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकान सह गोदाम निर्माण
	10.	ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकान सह गोदाम निर्माण
	11.	समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन
	12.	उपभोक्ता विवादों का निराकरण
	13.	लोक सेवा गारंटी अधिनियम–2011
6.		**पंचायत एवं ग्रामीण विकास**
	1.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
	2.	प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना
	3.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

	4.	मूलभूत योजना
	5.	मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना
	6.	स्वामी आत्मानंद वाचनालय
	7.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
	8.	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना
	9.	अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना
	10.	आम आदमी बीमा योजना
	11.	स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना
	12.	दीनदयाल उपाध्यक्ष ग्रामीण कौशल योजना
	13.	मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तीकरण योजना
	14.	पंचायतीराज संस्थाओं से संबंधित डिवॉल्युशन इण्डेक्स के आधार पर उत्कृष्ट राज्यों को राष्ट्रीय पुरस्कार
	15.	(RGPSA)
	16.	राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार योजना
7.		**श्रम विभाग**
	1.	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना
	2.	औद्योगिक संबंध तंत्र मशीनरी के सबलीकरण हेतु हायजिन प्रयोगशाला किट्स
	3.	बंधुवा श्रमिक पुर्नवास योजना
	4.	एकीकृत बीड़ी श्रमिक आवास योजना
	5.	छत्तीसबढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारा कल्याण मण्डल द्वारा संचालित योजनाएं
	6.	विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्योष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना
	7.	राजमाता विजयाराजे सामूहिक विवाह योजना
	8.	भगिनी प्रसूति सहायता योजना
	9.	नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना
	10.	मुख्यमंत्री श्रमिक औजार योजना
	11.	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना
	12.	मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना
	13.	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
	14.	जीवन ज्योति बीमा योजना
	15.	अटल पेंशन योजना
	16.	गंभीर बीमारी हेतु चिकित्सा सहायक योजना
	17.	दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना
	18.	मुख्यमंत्री चलित झूलाघर योजना
	19.	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना
	20.	बंधक निर्माण मजदूर पुर्नवास सहायता योजना
	21.	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना
	22.	मेधावी छात्र–छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना
	23.	मोबाईल रजिस्ट्रेशन वैन
	34.	निर्माण महिला स्व–सहायता योजना
	25.	सिलिकोसिस से पीड़ित निर्माण श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुर्नवास सहायता योजना
		श्रम मित्र योजना
	26.	छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण
	27.	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना
		मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन योजना
	28.	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल–रिक्शा सहायता
	29.	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार समाचार पत्र हॉकर सायकल योजना
	30.	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना
	31.	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार स्वावलंबन पेंशन योजना
	32.	मुख्यमंत्री राऊत, चरवाहा एवं दुध दुहने वाले सायकल सहायता योजना
	33.	मुख्यमंत्री कोटवार सायकल एवं टार्च सहायता योजना
	34.	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
	35.	सफाई कर्मकार कौशल उन्नयन योजना
	36.	सफाई कर्मकार के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना
	37.	सफाई कर्मकार के पुत्र–पुत्री हेतु विशेष कोचिंग योजना
	38.	सफाई कर्मकार बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना
	39.	सफाई कर्मकार पुत्र–पुत्रियों सायकल सहायता योजना
	40.	सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना
	41.	सफाई कर्मकार विवाह योजना
	42.	सफाई कर्मकार आवश्यक उपकरण सहायता योजना
	43.	ठेका श्रमिक एवं हमाल श्रमिक बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना

	44.	ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना
	45.	ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना
	46.	ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक विवाह योजना
	47.	हमाल हेतु जूता, हुक एवं महिला हमाल हेतु सुपा और टोकरी सहायता योजना
	48.	हमाल हेतु जूता, हुक एवं महिला हमाल हेतु सुपा और टोकरी सहायता योजना
	49.	घरेलू कामगार सायकल, छतरी, चप्पल/जूता सहायता योजना
	50.	घरेलू महिला कामगार कौशल उन्नयन एवं ठेका श्रमिक,
	51.	हमाल कामगार परिवार सशक्तिकरण योजना
	52.	
	53.	
8.		**महिला एवं बाल विकास**
	1.	समेकित बाल विकास सेवा योजना
	2.	एकीकृत बाल संरक्षण योजना
	3.	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
	4.	महिला जागृति शिविर
	5.	सबला योजना
	6.	किशोर शक्ति योजना
	7.	नवा जतन योजना
	8.	नोनी सुरक्षा योजना
	9.	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
	10.	नवा बिहान योजना
	11.	मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना
	12.	छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना
	13.	सक्षम योजना
	14.	स्वावलंबन योजना
9.		**समाज कल्याण**
	1.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
	2.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
	3.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना
	4.	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना
	5.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
	6.	सुखद सहारा योजना
	7.	निःशक्तजनों की शिक्षा हेतु शासकीय विशेष विद्यालयों का संचालन
	8.	स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायक अनुदान योजना
	9.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
	10.	सामर्थ्य विकास योजना
	11.	निःशक्त छात्रवृत्ति योजना
	12.	निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना
	13.	जिला पुर्नवास/जिला निःशक्त पुर्नवास केन्द्र योजना
	14.	दीनदयाल निःशक्तजन पुर्नवास कार्यक्रम
	15.	राष्ट्रीय निःशक्त पुर्नवास कार्यक्रम
	16.	निःशक्तजनों के लिए स्वरोजगार हेतु ऋण योजना
	17.	(छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम)
	18.	वृद्धाश्रमों का संचालन
	19.	नशाबंदी योजना
	20.	छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना
10.		**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण**
	1.	मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना
	2.	मुख्यमंत्री बालहृदय सुरक्षा योजना
	3.	संजीवनी कोष योजना
	4.	जननी सुरक्षा योजना
	5.	जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम
	6.	मितानिन कार्यक्रम
	7.	मुख्यमंत्री दवा पेटी योजना
	8.	मुख्यमंत्री स्वास्थ्य पंचायत योजना
	9.	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
	10.	पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम
	11.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम
	12.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

	13.	सिकिलसेल नियंत्रण कार्यक्रम
	14.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
	15.	संजीवनी एक्सप्रेस
	16.	मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना
	17.	मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम
	18.	छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम
11.		**स्कूल शिक्षा**
	1.	छात्र दुर्घटना बीमा
	2.	सरस्वती सायकल योजना
	3.	मध्यान्ह भोजन योजना
	4.	सूचना संचार प्रौद्योगिकी
	5.	निःशुल्क गणवेश योजना
	6.	निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय योजना
	7.	पुस्तकालय योजना
	8.	व्यावसायिक शिक्षा योजना
	9.	विकलांग बच्चों की समावेशी शिक्षा योजना
	10.	कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय योजना
12		उच्च शिक्षा
	1.	बी0पी0एल0 छात्र कल्याण छात्रवृत्ति
	2.	बी0पी0एल0 बुक बैंक योजना
	3.	एकीकृत छात्रवृत्ति योजना
13		**तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग**
	1.	तकनीकी शिक्षा
	2.	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना
	3.	कौशल विकास
	4.	छत्तीसगढ़ स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट मिशन (CSSDM) के अंतर्गत संचालित की जाने वाली विभिन्न योजनाएं
	5.	केन्द्र शासन की स्किल इनिशिएटिव (SDI) योजना
	6.	मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (MMKVY)
	7.	दक्षता विकास योजना स्किल डेव्हलपमेंट इनिसिएटिव स्कीम के तहत
	8.	
14		**रोजगार विभाग**
	1.	शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता योजना
	2.	स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना
	3.	रोजगार मेला
	4.	शिल्पकार प्रशिक्षण योजना
15		**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी**
	1.	लघु शोध परियोजना
	2.	यात्रा अनुदान
	3.	संगोष्ठी/सेमीनार/सिम्पोजियम/कार्यशाला
	4.	छत्तीसगढ़ युवा वैज्ञानिक कांग्रेस
	5.	समाज के लिए विज्ञान कार्य
16		सूचना प्रौद्योगिकी
	1.	छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना
	2.	ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना (चॉइस 2.0)
	3.	सामान्य सेवा केन्द्र परियोजना (चॉइस सेन्टर)
	4.	ई–प्रोक्योरमेंट
	5.	स्टुडेंट लाईफ सायकल मैनेजमेंट परियोजना
	6.	लोक सेवा केन्द
17		**आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग**
	1.	राज्य छात्रवृत्ति (प्री0 मैट्रिक)
	2.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
	3.	अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति योजना
	4.	पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति
	5.	मेरिट कम मीन्स अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति (तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम)
	6.	पोस्ट मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति (कक्षा 11वीं से पी–एच.डी. तक)
	7.	प्री0 मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति (कक्षा पहली से दसवी तक)
	8.	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना
	9.	छात्रावास योजना
	10.	आश्रम शाला योजना

	11.	छात्रगृह आवास योजना
	12.	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान
	13.	एकलव्य आवासीय विद्यालय
	14.	क्रीड़ा परिसर
	15.	छात्र भोजन सहाय योजना
	16.	स्वस्थ तन–स्वस्थ मन (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना
	17.	युवाओं को निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना
	18.	रविदास चर्मशिल्प योजना
	19.	अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना
	20.	देवगुड़ी विकास योजना
	21.	आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता योजना
	22.	हॉस्पिटलिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण योजना
	23.	नर्सिंग पाठ्यक्रम में अध्ययन सुविधा योजना
	34.	मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना
	25.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अंतर्गत राहत योजना सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन योजना वर्ष–2009
	26.	आर्यभट्ट विज्ञान–वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना
	27.	प्री इंजीनियरिंग एवं प्री मेडिकल की कोचिंग योजना
	28.	युवा कैरियर निर्माण योजना
	29.	मल्टी सेक्टोरल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम
	30.	वन बन्धु कल्याण योजना
	31.	विशेष पिछड़ी जनजातियों के समेकित विकास हेतु मुख्यमंत्री 11 सूत्रीय कार्यक्रम
	32.	
18		**वन विभाग**
	1.	तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों हेतु शिक्षा प्रोत्साहन योजना
	2.	तेन्दूपत्ता संग्राहको की निःशुल्क चरणपादुका वितरण
	3.	तेन्दूपत्ता संग्राहको हेतु निःशुल्क जनश्री बीमा योजना
	4.	तेन्दूपत्ता संग्राहको हेतु निःशुल्क सामूहिक सुरक्षा बीमा योजना
	5.	हिंसक वन्य प्राणियों द्वारा जनहानि पर क्षतिपूर्ति
	6.	हिंसक वन्य प्राणियों द्वारा निजी पशुओं को मारे जाने पर उनके मालिकों को आर्थिक सहायता पौधा प्रदाय योजना
	7.	हरियाली प्रसार योजना
	8.	निस्तार व्यवस्था के अंतर्गत वनोपज प्रदाय
	9.	बंसोड़/कंडरा आदिवासी समाज/पान बरेजा परिवार को रियासती दर पर बांस प्रदाय
	10.	तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण योजना
	11.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी अ. पेयजल योजना हैण्डपम्प आधिरित जल प्रदाय योजना नल जल आधारित जल प्रदाय योजना
	12.	ब. अभिनव योजनाएं सोलर पम्प के माध्यम से जल प्रदाय समूह नलजल योजना भू–जल संवर्धन योजना जल गुणवत्ता के कार्य
19		**जल संसाधन**
	1.	सहभागिता सिंचाई प्रबंधन (पी.आई.एम.)
	2.	नहरों का लाईनिंग कार्य
	3.	निविदा की पद्धति
20		**उर्जा**
	1.	कृषक जीवन जयोति योजना
	2.	सिंचाई पंपों का विद्युतीकरण
	3.	बी.पी.एल. कनेक्शन
	4.	मुख्यमंत्री एल.ई.डी. लैंप वितरण योजना (राष्ट्रीय उजाला स्कीम के अंतर्गत)
	5.	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (D.D.U.G.J.Y)
	6.	एकीकृत विद्युत विकास योजना (I.P.D.S)
	7.	मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना
	8.	स्कूलों एवं अस्पतालों के विद्युतीकरण के साथ आंगनबाड़ी केन्द्रों का विद्युतीकरण
	9.	मुख्यमंत्री मजरा–टोला विद्युतीकरण योजना
	10.	

	11.	छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय उर्जा विकास अभिकरण Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency (CREDA)
	12.	सोलर होम लाईट संयंत्र
	13.	सौर गर्म जल संयंत्र
	14.	सोलर रूफटॉप सिस्टम
	15.	घरेलू बायोगैस योजना
	16.	संस्थागत बायोगैस योजना
		ऊर्जा संरक्षण योजना
21		**खनिज**
	1.	गौण खनिजों में रायल्टी से छूट तथा उत्खनन के लिए पट्टा
	2.	खनिज सर्वेक्षण, अन्वेषण
22		**लोक निर्माण विभाग**
	1.	प्रदेश के बेरोजगार इंजीनियरों एवं राजमिस्त्रियों के लिए अभिनव योजना
23		**नगरीय प्रशासन विकास विभाग**
	1.	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
	2.	मुख्यमंत्री राज्य शहरी आजीविका मिशन
	3.	मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना
	4.	पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना
	5.	महिला समृद्धि बाजार योजना
	6.	हाट बाजार समृद्धि का आधार योजना
	7.	मुख्यमंत्री पालिका बाजार योजना
	8.	अन्नपूर्णा सामुदायिक सेवा केन्द्र
	9.	भागीरथी नल–जल योजना
	10.	हर घर शौचालय हर घर नल योजना
	11.	श्रद्धांजलि योजना
	12.	ऑन लाईन शिकायत निवारण प्रणाली निदान – 1100
	13.	सिटी बस परियोजना
	14.	प्रधानमंत्री आवास योजना
24		**आवास एवं पर्यावरण**
	1.	अटल आवास योजना
	2.	दीनदयाल आवास योजना
	3.	अटल विहार योजना
	4.	मुख्यमंत्री आवास योजना
	5.	प्रधानमंत्री आवास योजना
25		**उद्योग विभाग**
	1.	ब्याज अनुदान योजना
	2.	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान योजना
	3.	विद्युत शुल्क से छूट (केवल पात्र नवीन उद्योगों की स्थापना पर)
	4.	औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में भू–आबंटन पर भू–प्रीमियम में छूट/रियायत
	5.	परियोजना प्रतिवेदन अनुदान योजना
	6.	गुणवत्ता प्रतिवेदन अनुदान योजना
	7.	तकनीकी पेटेंट अनुदान योजना
	8.	प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान योजना
	9.	मार्जिन मनी योजना
	10.	औद्योगिक पुरस्कार योजना (राज्य शासन की किसी औद्योगिक नीति में अपात्र/संतृप्त उद्योगों की श्रेणी को
	11.	छोड़कर)
	12.	औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना
	13.	कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 की योजनाएं
	14.	छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन की योजनाएं
	15.	खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के तकनीकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण की योजना
	16.	उद्यानिकी एवं गैर उद्यानिकी क्षेत्रों में नवीन कोल्डचेन हेतु मूल्य संवर्धन एवं संरक्षण अधोसंरचना का विकास
	17.	ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र/संग्रहण केन्द्र की स्थापना
	18.	रीफर वाहन योजना
	19.	ऑटोमोटिव उद्योग नीति 2012 के तहत पात्र उद्योगों के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना
	20.	मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
	21.	प्रधानमंत्री मृद्रा योजना
	22.	

	23.	
26		**ग्रामोद्योग विभाग**
	1.	स्व. श्री बिसाहू दास महंत पुरस्कार योजना
	2.	सर्वश्रेष्ठ दीनदयाल हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना
	3.	रिवाल्विंग फण्ड योजना
	4.	राष्ट्रीय हाथ करघा विकास कार्यक्रम
	5.	महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना
	6.	अनुसंधान एवं विकास योजना
	7.	शासकीय वस्त्र प्रदाय योजना
	8.	समग्र हाथकरघा विकास के तहत
	9.	नवीन बुनाई प्रशिक्षण योजना
	10.	कौशल उन्नयन प्रशिक्षण
	11.	अधोसंरचना निर्माण हेतु सहायता
	12.	करघागृह हेतु सहायता
	13.	उन्नत/सहायक उपकरण प्रदाय योजना
	14.	प्राथमिक बुनकर समितियों के वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार हेतु सहायता
	15.	बुनकर आवास क्षेत्र में बुनायादी सहायता
	16.	छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
	17.	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
	18.	परिवार मूलक योजना
	19.	कारीगर प्रशिक्षण कार्यक्रम
	20.	खादी वस्त्र का विकास
	21.	बांस की कलात्मक वस्तुओं का निर्माण
	22.	विपणन व्यवस्था
		<u>रेशम प्रभाग</u>
	23.	पालित डाबा टसर ककून उत्पादन योजना
	34.	टसर धागाकरण योजना
	25.	मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार योजना
		<u>हस्तशिल्प विकास बोर्ड</u>
	26.	प्रशिक्षण योजना
	27.	हस्तशिल्पियों की पंजीयन योजना
	28.	औजार उपकरण अनुदान योजना
	29.	कर्मशाला निर्माण अनुदान योजना
	30.	सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता योजना
	31.	हस्तशिल्पियों के लिए अध्ययन प्रवास योजना
	32.	शिल्पियों हेतु डिजाईन एवं शिक्षा विकास योजना
	33.	हस्तशिल्पियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना
	34.	विपणन सहायता योजना
	35.	जन श्री बीमा योजना
	36.	शिल्पियों को मासिक आर्थिक सहायता/पेंशन योजना
27		**माटीकला बोर्ड**
	1.	कुंभकारों को निःशुल्क विद्युत/बैरिंग चाक वितरण
	2.	ग्लेजिंग यूनिट की स्थापना
28		**राजस्व विभाग**
	1.	भुईयां कार्यक्रम
	2.	दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना
	3.	राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 (4) के तहत प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को आर्थिक सहायता
	4.	सूखा प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता
29		**गृह विभाग**
	1.	नक्सल पीड़ित व्यक्ति/परिवार तथा आत्म समर्पित नक्सली पुर्नवास (अ) नक्सल पीड़ित एवं आत्म समर्पित परिवार के लिये राहत राशि– (ब) शास्त्रों के साथ आत्मसमर्पण वाले नक्सलियों के लिए अनुग्रह राशि– (स) अन्य सुविधाएं
	2.	पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना (वर्ष 2011)
	3.	नक्सली हिंसा में शहीद हुए जवानों के परिवार को दी जाने वाली सुविधाएं शासकीय निधि से
	4.	अशासकीय निधि से सहायता अनुदान
30		**जेल विभाग**
	1.	पुर्नवास योजना
	2.	जेल में निरूद्ध कैदियों की शिक्षा

	3.	स्वास्थ्य योजना
	4.	उर्जा संयंत्रों की स्थापना
	5.	विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से कैदियों के मामलों की सुनवाई
31		**विधि एवं विधायी कार्य विभाग**
	1.	विधिक सहायता और विधिक सलाह
	2.	विधिक साक्षरता/विधिक जागरूकता शिविर
	3.	लोक अदालत
	4.	स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएं)
	5.	अभिरक्षाधीन बंदियों को विधिक सहायता अधिवक्ता योजना
	6.	निःशुल्क विधिक सेवा
	7.	सेवानिवृत्ति पश्चात की परिलब्धियों की प्राप्ति हेतु स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत योजना
	8.	पैरा लीगल वांलिटियर्स योजना
	9.	लीगल एंड क्लीनिक योजना
	10.	प्रबंध कार्यालय
32		**खेल युवा कल्याण विभाग**
	1.	खिलाड़ियों को प्रशिक्षण
	2.	ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता
	3.	महिला खेल प्रतियोगिता
	4.	राज्य स्तरीय संघ एवं संस्थाएं
	5.	खिलाड़ियों को प्रोत्साहन
	6.	राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार
	7.	युवक कल्याण गतिविधियॉ
	8.	मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना
	9.	खेल अकादमी
	10.	राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोल
	11.	पर्यटन विभाग (पृष्ठ संख्या–267)
	12.	छत्तीसगढ़ पर्यटन प्रोत्साहन योजना 2006
33		**संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग**
	1.	मासिक वित्तीय सहायता (पेंशन) योजना
	2.	छत्तीसगढ़ कलाकार कल्याण कोष से आर्थिक सहायता
	3.	अशासकीय संस्थाओं के संवर्धन विकास हेतु आर्थिक अनुदान योजना
34		**जनसम्पर्क विभाग**
	1.	पत्रकार कल्याण कोष
	2.	संचार प्रतिनिधि व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना
	3.	वरिष्ठ पत्रकारों के लिए सम्मान निधि योजना